रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 63] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 20, 1983/चैत्र 30, 1905
No. 63] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 20, 1983/CHAITRA 30, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 16 ईटीसी (पीएन)/83

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1983

विषय —अप्रैल, 1983—मार्च, 1984 के दौरान जीवित भेड़ और बकरियों का निर्यात ।

मि. सं. 34(4)/83-ई.-2 :—वर्तमान आयात तथा निर्यात नीति (जिल्द-2) के नीति विवरण की क्रम सं. 3 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसके अनुसार जीवित भेड़ों और बकरियों के निर्यात की अनुमति अपरिवर्तनीय साख-पत्र या एक विशिष्ट निर्यात आदेश के मद्दे भुगतान की प्राप्ति का प्रमाण प्रस्तुत करने पर पहले आए सो पहले पाए के आधार पर एक सीमित उच्चतम सीमा के भीतर 12/- रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम निर्यात मूल्य के अधीन दी जाएगी ।

2. जबकि जीवित भेड़ों और बकरियों के निर्यात की अनुमति आयात-निर्यात नीति, (जिल्द 2) की कंडिका 14 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार एक सीमित उच्चतम सीमा के भीतर पहले आए तो पहले पाए के आधार पर दी जाएगी। यह निश्चय किया गया है कि गुजरात राज्य निर्यात निगम, अहमदाबाद और राजस्थान राज्य भेड़ और ऊन विपणन संघ लि., को भी उपर्युक्त दो अभिकरणों को प्रत्येक के लिए अलग से आबंटित कोटे के मद्दे जीवित भेड़ों और बकरियों के निर्यात की अनुमति दी जाएगी।

रोमा मजूमदार, मुख्य नियंत्रक,
(आयात एवं निर्यात)

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE No. 16-ETC(PN)/83

New Delhi, the 20th April, 1983

Subject.—Export of Live Sheep and Goats during April 1983—March 1984.

1. **No. 34(4)/83-EII.**—Attention is invited to Sl. No. 3 of Policy Statement of the current Import and Export Policy (Vol. II) according to which export of Live Sheep and Goats is allowed within a limited ceiling on first-come first-served basis on production of irrevocable Letter of Credit or proof of receipt of payment against a specific export order subject to minimum export price of Rs. 12 per kg. (FOB) of live weight of the animal and certain other conditions.

2. While export of live Sheep and Goats will be allowed within a limited ceiling on first-come first-served basis in terms of provisions of paragraph 14 of the Import and Export Policy, (Vol. II), it has been decided that the Gujarat State Export Corporation, Ahmedabad and the Rajasthan State Sheep and Wool Marketing Federation Ltd. will also be allowed to export live Sheep and Goats against quota allocated separately for each of the aforesaid two Agencies.

ROMA MAZUMDAR, Chief Controller,
(Imports & Exports)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983